

#### असाधारण

## **EXTRAORDINARY**

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राधिकार से प्रकाशित

#### PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 664]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 29, 2015/ कार्तिक 7, 1937

No. 664]

NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 29, 2015/ KARTIKA 7, 1937

#### उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

# (खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अक्तूबर, 2015

सा.का.नि. 814(अ).-केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2015 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:-

- 1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ -** (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2015 है ।
- (2) यह राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा ।
  - 2. लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2015 में, -
    - (i) खंड 3 में,-
    - (क) उपखंड (2) में, मद (i) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात :-
    - "(i) अंत्योदय गृहस्थियाँ ;";
    - (ख) उपखंड (3) के परंतुक का लोप किया जाएगा ; और
    - (ग) उपखंड (4) का लोप किया जाएगा।

[फा.सं. 9(4)/2012-पी डी.-II] दीपक कुमार, संयुक्त सचिव

**पाद टिप्पण** :- मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा. का. नि. सं. 213(अ) तारीख, 20 मार्च, 2015 द्वारा प्रकाशित किया गया था ।

4602 GI/2015 (1)

# MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION (Department of Food and Public Distribution) NOTIFICATION

New Delhi, the 28th October, 2015

**G.S.R.814** (E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order, to amend the Targeted Public Distribution System (Control) Order, 2015, namely: -

- **1. Short title, and commencement.** (1) This Order may be called the Targeted Public Distribution System (Control) Amendment Order, 2015.
- (2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
  - 2. In the Targeted Public Distribution System (Control) Order, 2015,-
  - (i) In clause 3,-
  - (a) in sub-clause (2), for item (i), the following shall be substituted, namely:"(i) Antyodaya households;";
  - (b) proviso to sub-clause (3) shall be deleted; and
  - (c) sub-clause (4) shall be deleted.

[F.No. 9(4)/2012-PD.II] DEEPAK KUMAR, Jt. Secy.

**Footnote:-**The principal Order was published in the Gazette Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide G.S.R. number 213(E) dated 20th March, 2015.